

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपरिष्ठ अधिकारी (राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 453/2024
वाट अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

अभिषेक सह पुत्र श्री सन्दीप सह जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़/राज

- वादी

1. सन्दीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़/राज
2. प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़/राज.
3. प्रहलाद कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़/राज
4. अक्षय पुत्र श्री प्रहलाद जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़/राज.
5. नानव सह पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़/राज
6. पिकी सह पत्नी श्री रणजीत कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़/राज
7. पुनम पत्नी श्री रवि कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़/राज
8. सुनन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़/राज.
9. भीमसैन पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़/राज
10. साहबराम पुत्र श्री सुरजाराज जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़/राज.
11. सहदेव पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.) - मृत
- 11/1 चिडिया पत्नी स्व. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़/राज.
- 11/2 शारदा देवी पुत्री स्व. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री मनफूल जाति जाट निवास ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़/राज.
- 11/3 इन्द्र सैन पुत्र स्व. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़/राज.
- 11/4 देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़/राज.)
12. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 14.8.24

वादी अभिषेक सह ने प्रतिवादीगण सन्दीप कुमार वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाट वाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 56/47 जमाबन्दी सन्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि, इसी चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सन्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 1,2,3,6 व 7 के नाम से 3.542 है. कृषि भूमि, चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 105/95 जमाबन्दी सन्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 1 व 3 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि, चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 83/15 जमाबन्दी सन्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1, 3 व 8 के नाम से 3.795 है. कृषि भूमि, इसी चक 9 बी.

समाप्त --2

सहायक कलेक्टर एवं
जिला अधिकारी
संगरिया

जी.पी. ए के खाता सं. 84/79 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि, चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 56/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 4.301 है. कृषि भूमि, चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 के नाम से 11.082 है. कृषि भूमि, चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 4.851 है. कृषि भूमि, चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 व मृतका कैलाश देवी के नाम से 0.291 है. कृषि भूमि तथा चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9, 10 व 11 के नाम से 7.337 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की संयुक्त खाता की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। जिसमें प्रतिवादी सं. 9 व 10 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 व 11 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया था। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 व 11 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :-

(क) वादी अभिषेक सहू पुत्र श्री सन्दीप सहू जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :- चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 56/47 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

201/136 24 2,3/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

201/136 24 7/0.228 है.(किला की दक्षिणी दिशा में),

8,9,12,13,14/0.253 है.प्र.,

16/0.025 है.(किला की पश्चिमी दिशा में),

17/0.253 है., 25/0.025 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)

202/136 23 21/0.127 है.(किला की पूर्वी दिशा में),

22,23/0.253 है.प्र. कुल 2.429 है. कृषि भूमि

(ख) वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 क्रमशः अभिषेक सहू पुत्र श्री सन्दीप सहू(1/4 हिस्सा) एवं सन्दीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार(3/4 हिस्सा) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 4 बी.जी.पी. खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

210/130 22 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

211/129 1 13/0.025 है., 14/0.013 है.,

16ता18,23ता25/0.253 है.प्र.

211/130 8 1ता14/0.253 है.प्र., 15/2/0.098 है.,

15/3/0.016 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

17ता20/0.253 है.प्र.

कुल 6.477 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

211/130 8 15/1/0.139 है. कुल 0.139 है. कृषि भूमि

लगातार --3

संगरिया उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(ग) वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 क्रमशः अभिषेक सह पुत्र श्री सन्दीप सह एवं प्रहलाद कुमार पुत्र श्री रामकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 6 बी.जी.पी. खाता सं. 105/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

201/139 32 4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है.,
 5/1/0.215 है., 5/2/0.038 है.
 कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 5 मानव सह पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

212/129 2 19ता21/0.253 है.प्र., 22/0.230 है.
 212/130 7 1,10/0.253 है.प्र., 11/2/0.101 है., 12/1/0.164 है.,
 13/2/0.164 है., 14/1/0.164 है., 15/2/0.152 है.,
 15/3/0.012 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
 17ता20/0.253 है.प्र.

कुल 3.517 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

212/130 7 11/1/0.152 है.

कुल 0.152 है. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 2 व 8 क्रमशः प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार(2.530 है.) एवं सुमन पत्नी श्री प्रदीप कुमार(1.265 है.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 83/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

197/135 9 6,13ता18,23,24/0.253 है.प्र.
 197/136 14 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है.,
 4/2/0.025 है., 7,8,13,14/0.253 है.प्र.

कुल 3.795 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 2 प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 84/79 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/135 10 10,11/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/135 10 1,2,,7,8,9,12,13,14/0.253 है.प्र.

कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 5 मानव सह पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/135 10 6,15,16,17,25/0.253 है.प्र.

199/135 11 11,20,21/0.253 है.प्र.

199/136 12 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है.,

4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

8/0.253 है.

कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ज) प्रतिवादी सं. 3 प्रहलाद कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

सुरेश एब
 अधिकारी
 संगरिया

चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 211/129 1 11/0.038 है., 12/0.038 है., 19ता22/0.253 है.

चक 4 बी.जी.पी. खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 210/129 9 15/1/0.038 है., 15/2/0.006 है., 16/1/0.228 है.,
 16/2/0.025 है., 24/0.253 है., 25/1/0.228 है.,
 25/2/0.025 है.
 210/130 22 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
 7,8,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है.,
 15/2/0.025 है., 17,18,19,22,23,24/0.253 है.प्र.,
 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

(झ) प्रतिवादी सं. 4 अक्षय पुत्र श्री प्रहलाद जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 एस.एन.जी. खाता सं. 56/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

213/152 49 15,16,25/0.253 है.प्र.
 214/151 45 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
 214/152 50 5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है.,
 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 11/0.253 है.,
 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है.,
 16/2/0.025 है., 17,20,21,24/0.253 है.प्र.,
 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
 214/153 54 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
 215/153 53 9/0.253 है.

(ण) प्रतिवादी सं. 6 व 7 क्रमशः पिकी सहू पत्नी श्री रणजीत कुमार व पूनम पत्नी श्री रवि कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

201/136 24 7/0.025 है.(किला की उत्तरी दिशा में),
 15/0.253 है., 16/0.228 है.(किला की पूर्वी दिशा में),
 25/0.228 है.(किला की पूर्वी दिशा में)
 202/136 23 20/0.253 है., 21/0.126 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
 कुल 1.113 है. कृषि भूमि

(य) प्रतिवादी सं. 11 सहदेव पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/135 10 3ता5/0.253 है.प्र.
 199/135 11 1,2,3,8,9,10/0.253 है.प्र.
 कुल 2.277 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की

महायुक्त क्लर्क एवं
 मुख्य अधिकारी
 संगरिया



घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 12 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 56/47 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 105/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 83/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 84/79 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 56/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 ता 10 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गईं। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 56/47 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि, इसी चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 1,2,3,6 व 7 के नाम से 3.542 है. कृषि भूमि, चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 105/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 1 व 3 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि, चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 83/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1, 3 व 8 के नाम से 3.795 है. कृषि भूमि, इसी चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 84/79 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि, चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 56/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 4.301 है. कृषि भूमि, चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 के नाम से 11.082 है. कृषि भूमि, चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 4.851 है. कृषि भूमि, चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 व मृतका कैलाश देवी के नाम से 0.291 है. कृषि भूमि तथा चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9, 10 व 11 के नाम से 7.337 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

लगातार --6

रजिस्टर एव
अधिकारी
संगरिया

- (क) वादी अभिषेक सह पुत्र श्री सन्दीप सह जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 56/47 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 201/136 24 2,3/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि
 चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 201/136 24 7/0.228 है.(किला की दक्षिणी दिशा में),
 8,9,12,13,14/0.253 है.प्र.,
 16/0.025 है.(किला की पश्चिमी दिशा में),
 17/0.253 है., 25/0.025 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
 202/136 23 21/0.127 है.(किला की पूर्वी दिशा में),
 22,23/0.253 है.प्र. कुल 2.429 है. कृषि भूमि
- (ख) वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 क्रमशः अभिषेक सह पुत्र श्री सन्दीप सह(1/4 हिस्सा) एवं सन्दीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार(3/4 हिस्सा) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 4 बी.जी.पी. खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 210/130 22 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.
 कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
 चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 211/129 1 13/0.025 है., 14/0.013 है.,
 16ता18,23ता25/0.253 है.प्र.
 211/130 8 1ता14/0.253 है.प्र., 15/2/0.098 है.,
 15/3/0.016 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
 17ता20/0.253 है.प्र.
 कुल 6.477 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
 चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 211/130 8 15/1/0.139 है. कुल 0.139 है. कृषि भूमि
- (ग) वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 क्रमशः अभिषेक सह पुत्र श्री सन्दीप सह एवं प्रहलाद कुमार पुत्र श्री रामकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 105/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 201/139 32 4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है.,
 5/1/0.215 है., 5/2/0.038 है.
 कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
- (घ) प्रतिवादी सं. 5 मानव सह पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 212/129 2 19ता21/0.253 है.प्र., 22/0.230 है.
 1,10/0.253 है.प्र., 11/2/0.101 है., 12/1/0.164 है.,
 212/130 7 13/2/0.164 है., 14/1/0.164 है., 15/2/0.152 है.,
 15/3/0.012 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
 17ता20/0.253 है.प्र.
 कुल 3.517 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
 चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 212/130 7 11/1/0.152 है. कुल 0.152 है. कृषि भूमि
- (ङ) प्रतिवादी सं. 2 व 8 क्रमशः प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार(2.530 है.) एवं सुमन पत्नी श्री प्रदीप कुमार(1.265 है.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां

तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 83/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
197/135 9 6,13ता18,23,24/0.253 है.प्र.
197/136 14 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है.,
4/2/0.025 है., 7,8,13,14/0.253 है.प्र.
कुल 3.795 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 2 प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 84/79 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/135 10 10,11/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि
चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
198/135 10 1,2,,7,8,9,12,13,14/0.253 है.प्र.
कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 5 मानव सह पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/135 10 6,15,16,17,25/0.253 है.प्र.
199/135 11 11,20,21/0.253 है.प्र.
199/136 12 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है.,
4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
8/0.253 है. कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ज) प्रतिवादी सं. 3 प्रहलाद कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

211/129 1 11/0.038 है., 12/0.038 है., 19ता22/0.253 है.
कुल 1.088 है. कृषि भूमि

चक 4 बी.जी.पी. खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

210/129 9 15/1/0.038 है., 15/2/0.006 है., 16/1/0.228 है.,
16/2/0.025 है., 24/0.253 है., 25/1/0.228 है.,
25/2/0.025 है.
210/130 22 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7,8,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है.,
15/2/0.025 है., 17,18,19,22,23,24/0.253 है.प्र.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
कुल 4.598 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(झ) प्रतिवादी सं. 4 अक्षय पुत्र श्री प्रहलाद जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 1 एस.एन.जी. खाता सं. 56/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

213/152 49 15,16,25/0.253 है.प्र.
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
214/151 45 25/1/0.228 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है.,
5/1/0.202 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 11/0.253 है.,
214/152 50 6/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है.,
16/2/0.025 है., 17,20,21,24/0.253 है.प्र.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

लगातार --8

पदायक क्लर्क एव
उपसहाय अधिकारी
लगातार

214/153 54 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.

(ण) 215/153 53 9/0.253 है. कुल 4.301 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
प्रतिवादी सं. 6 व 7 क्रमशः पिंकी सहू पत्नी श्री रणजीत कुमार व पूनम पत्नी
श्री रवि कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.


201/136 24 7/0.025 है.(किला की उत्तरी दिशा में),
15/0.253 है., 16/0.228 है.(किला की पूर्वी दिशा में),
25/0.228 है.(किला की पूर्वी दिशा में)
202/136 23 20/0.253 है., 21/0.126 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
कुल 1.113 है. कृषि भूमि

(य) प्रतिवादी सं. 11 सहदेव पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

198/135 10 3ता5/0.253 है.प्र.
199/135 11 1,2,3,8,9,10/0.253 है.प्र.
कुल 2.277 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 56/47 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार इसी चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 1,2,3,6 व 7 के नाम से 3.542 है. कृषि भूमि में वादी को 2.429 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं. 105/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 1 व 3 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि में से 0.253 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 83/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1, 3 व 8 के नाम से 3.795 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 2.530 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 3 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार इसी चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 84/79 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 56/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 4.301 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 4 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 के नाम से 11.082 है. कृषि भूमि में से वादी को 6.477 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 1 को 3/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 3 को 1.088 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 3.517 है. कृषि भूमि के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 5 के नाम के आगे नाबालिग हटाया जावे, इसी प्रकार चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 4.851 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.253 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 1 को 3/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 3 को 4.598 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 व मृतका कैलाश देवी के नाम से 0.291 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.139 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 1 को 3/4 हिस्सा का,

लगातार --9




पहायक/कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी सं. 5 को 0.152 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2, 3 व मृतका कैलाश देवी का नाम कलमजन किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 5 के नाम के आगे नाबालिग हटाया जावे तथा इसी प्रकार चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9, 10 व 11 के नाम से 7.337 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 2.024 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 3.036 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 9 व 10 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 453/2024

12

अभिषेक सह पुत्र श्री सन्दीप सह जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

- सन्दीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- प्रहलाद कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- अक्षय पुत्र श्री प्रहलाद जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- मानव सह पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- पिंकी सह पत्नी श्री रणजीत कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- पूनम पत्नी श्री रवि कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- सुमन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- भीमसैन पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- साहबराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
- सहदेव पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.) - मृत
- चिड़िया पत्नी स्व. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- शारदा देवी पुत्री स्व. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री मनफूल जाति जाट निवास ढाबां तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- इन्द्र सैन पुत्र स्व. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री सहदेव पुत्र स्व. श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 14.8.24.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन
जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 मिन जानिब मुदायला
पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

- (क) वादी अभिषेक सह पुत्र श्री सन्दीप सह जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-
- चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 56/47 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 201/136 24 2,3/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि
चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 201/136 24 7/0.228 है.किला की दक्षिणी दिशा में),
8,9,12,13,14/0.253 है.प्र.,

लगातार --2

राकेश कुमार एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

02/136 23 है. (किला की पश्चिमी दिशा में),
 16/0.025 है., 25/0.025 है. (किला की पश्चिमी दिशा में)
 17/0.253 है., 21/0.127 है. (किला की पूर्वी दिशा में),
 22,23/0.253 है. प्र. कुल 2.429 है. कृषि भूमि
 सं. 1 क्रमशः अभिषेक सद् पुत्र श्री सन्दीप सद् (1/4 हिस्सा) एवं
 श्री रामकुमार (3/4 हिस्सा) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां
 तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 4 बी.जी.पी. खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

210/130 22 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.
 कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
 चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

211/129 1 13/0.025 है., 14/0.013 है.,
 16ता18,23ता25/0.253 है. प्र.
 211/130 8 1ता14/0.253 है. प्र., 15/2/0.098 है.,
 15/3/0.016 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
 17ता20/0.253 है. प्र. कुल 6.477 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
 चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

211/130 8 15/1/0.139 है. कुल 0.139 है. कृषि भूमि
 वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 क्रमशः अभिषेक सद् पुत्र श्री सन्दीप सद् एवं प्रहलाद कुमार
 पुत्र श्री रामकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला
 हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 105/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

201/139 32 4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है.,
 5/1/0.215 है., 5/2/0.038 है.
 कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
 प्रतिवादी सं. 5 मानव सद् पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील
 संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

212/129 2 19ता21/0.253 है. प्र., 22/0.230 है.
 212/130 7 1,10/0.253 है. प्र., 11/2/0.101 है., 12/1/0.164 है.,
 13/2/0.164 है., 14/1/0.164 है., 15/2/0.152 है.,
 15/3/0.012 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
 17ता20/0.253 है. प्र. कुल 3.517 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
 चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

212/130 7 11/1/0.152 है. कुल 0.152 है. कृषि भूमि
 (इ) प्रतिवादी सं. 2 व 8 क्रमशः प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार(2.530 है.) एवं सुमन
 पत्नी श्री प्रदीप कुमार(1.265 है.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तह. संगरिया
 जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 83/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

197/135 9 6,13ता18,23,24/0.253 है. प्र.
 197/136 14 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है.,
 4/2/0.025 है., 7,8,13,14/0.253 है. प्र.
 कुल 3.795 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 2 प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील
 संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
 चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 84/79 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.
 198/135 10 10,11/0.253 है. प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि
 चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

परामर्शक एच
 प्रमुख अधिकारी
 संगरिया

14

मु.नं. कि.नं.

8/135 10 1,2,,7,8,9,12,13,14/0.253 है.प्र.

कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 5 मानव सद् पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

98/135 10 6,15,16,17,25/0.253 है.प्र.

99/135 11 11,20,21/0.253 है.प्र.

99/136 12 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है.,

4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

8/0.253 है. कुल 3,036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 3 प्रहलाद कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 3 बी.जी.पी. खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

211/129 1 11/0.038 है., 12/0.038 है., 19ता22/0.253 है.

कुल 1.088 है. कृषि भूमि

चक 4 बी.जी.पी. खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

210/129 9 15/1/0.038 है., 15/2/0.006 है., 16/1/0.228 है.,

16/2/0.025 है., 24/0.253 है., 25/1/0.228 है.,

25/2/0.025 है.

210/130 22 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,

7,8,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है.,

15/2/0.025 है., 17,18,19,22,23,24/0.253 है.प्र.,

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

कुल 4.598 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 4 अक्षय पुत्र श्री प्रहलाद जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 एस.एन.जी. खाता सं. 56/5 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

213/152 49 15,16,25/0.253 है.प्र.

214/151 45 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

214/152 50 5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 11/0.253 है.,

15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है.,

16/2/0.025 है., 17,20,21,24/0.253 है.प्र.,

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

214/153 54 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,

5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.

9/0.253 है. कुल 4.301 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 6 व 7 क्रमशः पिंकी सद् पत्नी श्री रणजीत कुमार व पूनम पत्नी श्री रवि कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 बी.जी.पी. ए खाता सं. 113/52 जमाबन्दी सम्यत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

201/136 24 7/0.025 है.(किला की उत्तरी दिशा में),

15/0.253 है., 16/0.228 है.(किला की पूर्वी दिशा में),

25/0.228 है.(किला की पूर्वी दिशा में)

20/0.253 है., 21/0.126 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)

कुल 1.113 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 11 सहदेव पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

लगातार --4

सहायक सचिव एवं
उपपंड अधिकारी
संगरिया

98/135 10 3ता5/0.253 है प
99/135 11 1,2,3,8,9,10/0.253 है प

(15)

मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं 56/47 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं 3 के नाम से 0.506 है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं 3 का नाम कलमजज किया जावे, इसी प्रकार इसी चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं 113/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं 1, 2, 3, 6 व 7 के नाम से 3.547 है कृषि भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं 1 ता 3 का नाम कलमजज किया जावे, इसी प्रकार चक 6 बी.जी.पी. बी के खाता सं 105/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं 1 व 3 के नाम से 0.506 प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजज किया जावे, इसी प्रकार चक 4 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 83/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं 1, 3 व 8 के नाम से 3.795 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 2.530 है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 3 का नाम कलमजज किया जावे, इसी प्रकार इसी चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 84/79 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजज किया जावे, इसी प्रकार चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 56/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 4.301 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं 4 का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजज किया जावे, इसी प्रकार चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 88/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 के नाम से 11.082 है. कृषि भूमि में से वादी को 6.477 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 1 को 3/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 3 को 1.088 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 3.517 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 5 के नाम के आगे नाबालिग हटाया जावे, इसी प्रकार चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 132/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं 1 ता 3 के नाम से 4.851 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.253 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 1 को 3/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 3 को 4.598 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजज किया जावे, इसी प्रकार चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 19/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 व मृतका कैलाश देवी के नाम से 0.291 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.139 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 1 को 3/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 5 को 0.152 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2, 3 व मृतका कैलाश देवी का नाम कलमजज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 5 के नाम के आगे नाबालिग हटाया जावे तथा इसी प्रकार चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 89/13 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9, 10 व 11 के नाम से 7.337 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 2.024 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 3.036 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 9 व 10 का नाम कलमजज किया जाकर उक्तनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत
निल..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह पौसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 14.8.24 को जारी किया जाता है।

(राजेश कुमार मोना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपसहायक अधिकारी(राजस्व),
संगरिया
पंचायत कमिश्नर एवं
उपसहायक अधिकारी
संगरिया